वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी.18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला, दूरभाष 0172.2563988, 2563861 E-mail : cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः– FCA/e-875691/2379 दिनांकः– 27/02/2025

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन एवं वन्यप्राणी विभाग,
चण्डीगढ़।

विषय : Diversion of 0.8886 forest land for construction of 6 lane Greenfield connectivity from DNDFaridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Pkg-1) in under forest division & district faridabad, Haryana (online Proposal no. FP/HR/ROAD/149539/2021)-regarding

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 9-HRB037/2023-CHA दिनांक 10.04.2023

CFMS:- FRT27022025-1185

उपरोक्त संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि स्टेज–1 की अनुपालना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा कर दी गई है जोकि निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :–

1–5. प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजेन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 3339583.43/– रूपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है । ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ।

6. Undertaking of No such proposal पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
7. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
8. Undertaking of DFO की प्रति संलग्न है।

इसके अतिरिक्त 2 (बी) की अनुपलना रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। कृपया प्रस्ताव में स्टेज–II की स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

27/2/25

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8. टोल प्लाजा भवन के समीप. मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003
सत्यमेव जयते

फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website:www.nhai.gov..in
ईमेल Email: mat@nhai.org

NHAI/CMU/MTR/F-5 (Jewar)/2023/D-71775 Dated: 25.08.2023

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
वन मण्डल, फरीदाबाद
जिला, फरीदाबाद (हरियाणा)

Sub: Diversion of 0.8886 forest land for construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Pkg-1) in under forest division & district Faridabad, Haryana-regarding. (Online Proposal no. FP/HR/ROAD/149539/2021)

Ref: (i) Integrated Regional Office, Chandigarh vide letter 9-HRB-037/2023-CHA dated April, 2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई थी। राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.8886 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की गई है। शर्तों का अनुपालन एवं वचन बद्धता निम्न प्रकार है:-

S. No.	Conditions	Compliances
(A)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-	
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जा चुकी है । अनुलग्नक -1 संलग्न है ।
ii.	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जा चुकी है। अनुलग्नक -1 संलग्न है ।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.8886** हेक्टेयर की नैट प्रर्जेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.8886** हेक्टेयर की नैट प्रर्जेंट वैल्यु जमा करवाई जा चुकी है। अनुलग्नक -1 संलग्न है ।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा चुकी है।

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8. टोल प्लाजा भवन के समीप. मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003
सत्यमेव जयते
फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website:www.nhai.gov..in
ईमेल Email: mat@nhai.org
भा रा रा प्रा NHAI

		अनुलग्नक -1 संलग्न है ।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा |	प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से उपयुक्त बैंक जमा किए चुके हैं । अनुलग्नक -। संलग्न है ।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-। पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-। अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास S-। अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है"** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	शर्त मान्य है तथा इस आशय का एक वचन पत्र संलग्न है | अनुलग्नक -।। संलग्न है ।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा |	शर्त मान्य है तथा इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित वनाधिकारी फरीदाबाद को पत्र सं0–71772 दिनांक 25.08.2023 द्वारा आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। अनुलग्नक–।।।
ix.	वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे |	इस शर्त का पालन वन मंडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा |
x.	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |	इस शर्त का पालन नोडल अधिकारी (State CAMPA) द्वारा किया जाएगा |
(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-	
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार, 2120	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार सीए

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

	पौधे लगाकर गैर वन भूमि Dhoj section 4 & 5 in tehsil-ballabgarh, District-Faridabad एवं 288 पौधे लगाकर degraded Dhoj section 4 & 5 in tehsil-ballabgarh, District-Faridabad सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा । यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा		किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जा चुका है। वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाएगा ।
iv.	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे		इस शर्त का पालन वन मंडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
v.	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे		इस शर्त का पालन नोडल अधिकारी (State CAMPA) द्वारा किया जाएगा	
vi.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी ।	इस शर्त का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।
vii.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
viii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा		शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा		शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा		शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xii.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा		शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xiii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी		शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा |	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xvii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xviii.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xxi.	कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xxii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी । इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह समाप्ति होगी |	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xxiii.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय -समय पर लगाई जा सकती है।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xxiv.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम /न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
xxv.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु	शर्त मान्य है तथा इस शर्त का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

India

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8. टोल प्लाजा भवन के समीप. मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003

फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website:www.nhai.gov..in
ईमेल Email: mat@nhai.org

सत्यमेव जयते

	परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	

उपरोक्त शर्तों की अनुपालना एवं वचन बद्धता स्वीकार कर, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

महाप्रबन्धक (तक0) व
परियोजना निदेशक,
सी.एम.यू. मथुरा

सलंग्नः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:–

1. वन महानिरीक्षक (आर.औ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित है। Ramesh.pandey@nic.in
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सी–18, वन भवन, सै0–06, पंचकुला, हरियाणा pccf-hry@nic.in
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर, हरियाणा सी–18, वन भवन, सै0–06, पंचकुला, हरियाणा cffcpanchkula@gmail.com
4. M/s SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. 1101A, 11th Floor, Tower A-II, Corporate Park, Plot No. 7A/1, Sector-142, Noida को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Diversion of 0.8886 forest land for construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Pkg-1) in under forest division & district Faridabad, Haryana-regarding.

(Online Proposal No. FP/HR/ROAD/149539/2021)

Annexure – I

Welcome to PARIVESH | Welcome to Single Window Clea | Untitled Page

forestsclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾ 11:16:17 AM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/HR/ROAD/150741/2022 Construction of 6 lane greenfield connectivity from DND-Faridabad-Bypass (from Km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojana (Lot 4/Package-1) in the Faridabad Forest Division.	ROAD1507412022110	61150741110	11 Apr 2023	CA: 2439568/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2088603/-, Any other charges : 166024.96/- Felling charges : 9360/- SMC & Supervisory charges : 1408782.17/- Total : 7138433/- Addl CA : 189425.28/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Fencing charges/Loose stone wall charges : 836669.6/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :17 May 2023 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :17 May 2023 Transaction Date :22 May 2023	Demand Letter Generated Challan
2	FP/HR/ROAD/149539/2021 Construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Pkg-1) in the State of Haryana un	ROAD1495392021396	61149539396	10 Apr 2023	CA: 1503380.26/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1091725.07/-, Felling charges : 162852/- Exigency charges : 65471.6/- Additional supply charges : 5921.86/- Total : 3339583.43/- Addl CA : 59218.56/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Soil and moisture conservation charges : 451014.08/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :11 Apr 2023 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :11 Apr 2023 Transaction Date :19 Apr 2023	Demand Letter Generated Challan
3	FP/DL/ROAD/154223/2022 Construction of 6 Lane access controlled Highway from DND Maharani Bagh to Junction	ROAD1542232022354	61154223354	30 Aug 2022	CA: 25564560/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 3803100/-, Other Charges1 : 0/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :02 Sep 2022 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :02 Sep 2022	Demand Letter Generated Challan

ENG IN 11:16 AM 8/24/2023

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8, टोल प्लाजा भवन के समीप, मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003

फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website:www.nhai.gov..in
ईमेल Email: mat@nhai.org

सत्यमेव जयते

NHAI/CMU/MTR/F-5(Jewar)/2023/D-70009

Dated: 25.04.2023

Urgent-

To,

The District Forest Officer-Faridabad,
482, Chaudhary Charan Singh Marg,
Sector-14, Faridabad-121006

Sub:- Construction of Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND - Faridabad - Ballabgarh Bypass KMP Link - Spur to Delhi Mumbai Expressway- **Payment towards cost of compensatory afforestation scheme and NPV of forest land.- Reg.**

Ref:- Your letter no. Nil dt. 10.04.2023

Sir,

Please refer your letter cited above vide which demand for an amount of Rs. 33,39,583.43/- was raised towards cost of compensatory afforestation scheme and NPV of forest land.

It is intimated that an amount of Rs. 33,39,583.43/- has been deposited/transferred through NEFT vide UTR No. ICICR52023041900772781 dated 19.04.2023 as per challan generated through Parivesh Portal in favor of Haryana CAMPA to Account No. 1506961149539396.

Kindly acknowledge the receipt of the same and accord working permission as per MoEFCC circular dt. 07.05.2015 at the earliest.

Thanking you,

General Manager (T) &,
Project Director,
CMU - Mathura

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

OFFICE OF

Dy. Conservator of Forests, Faridabad

Forest Department, Haryana

sector14, Bye pass Road near Rose Garden Faridabad,Tel:0129-2286760 E-mail: cfo[illegible]

No. Dated:

10

The Project Director
National Highways Authority of India,
CMU-Mathura
Plot No. 8, near Sarai Toll Plaza Building,
Mathura Road, Faridabad-121003

Sub- Diversion of 0.8886 forest land for construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Pkg-1) in under forest division & district faridabad, Haryana (online Proposal no. FP/HR/ROAD/149539/2021)- Reg

Sir,

With regard to the above subject, it is to inform that In-Prnciple approval has been granted by MoEF&CC, IRO, Chandigarh (Central) vide letter no 9- RE 037/2023-CHA dt. 10.04.2023. Therefore, you are requested to deposit Rs 33,39,583.43/- (CA- Rs. 22,47,858.36/- & NPV- Rs. 10,91,725.07/-) online in the CAMPA Fund and submit the compliance report to this office so that higher office may be informed accordingly.

Dy. Conservator of Forest
Faridabad

10/4/23

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

Diversion of 0.8886 forest land for construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Pkg-1) in under forest division & district Faridabad, Haryana-regarding.

(Online Proposal No. FP/HR/ROAD/149539/2021)

Annexure – II

UNDERTAKING

I/We, V K Joshi, Project Director, NHAI, CMU Mathura, , hereby, on behalf of National Highways Authority of India has applied for diversion of 0.8886Ha. Protected forest land Under Forest Division, Faridabad for construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass (from km 32+600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Pkg-1) in the state of Haryana.

I/We, hereby, on behalf of National Highways Authority of India undertake that **"No such proposal is pending with this division and circle to comply with the conditions of S-I approval"**

Signature of User Agency

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)

India

FORM-I

(for linear projects)

Government of Haryana

Office of the Distract Magistrate,

District Faridabad

****

No. .... Dated ....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposedto be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.8886** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India, CMU, Mathura for **"Construction of 6 lane green field connectivity from DND-Faridabad-Ballabhagarh Bypass (from Km 32.600) to Jewar International Airport under Bharatmala Pariyojana Lot-4/PKG-I in the state of Haryana"** in Faridabad district of Haryana, falls within the jurisdiction of Faridabad district of Haryana villages(s) **Sotai, Fafunda, Narhawali, Mahmadpur and Mohna** in Ballabhgarh Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.8886** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure....................................

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl: As above.

(Name...............)

District Collector

Faridabad

Annexure-III

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8, टोल प्लाजा भवन के समीप, मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003

सत्यमेव जयते

फोन /Phone: 0129-3501177
/Website:www.nhai.gov..in
ईमेल Email: mat@nhai.org

भा रा रा प्रा
NHAI

NHAI/CMU/MTR/F-5 (Jewar)/2023/D- 71772

Dated: 25.08.2023

To,

The Deputy Conservator of Forests,
Forest Department, Haryana,
Sector -14, Bypass Road,
Near Ross Garden, Faridabad
Email:- dfofbd2@gmail.com

Sub:- Construction of Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad- Ballabgarh Bypass KMP Link – Spur to Delhi Mumbai Expressway – **Reg.- Compliance of FRA 2006 in respect of Proposal no. FP/HR/ROAD/149539/2021 Area: 0.8886 Ha.**

Ref:- (i) IRO Chandigarh, MoEF&CC letter no. 9-HRB-037/2023-CHA, dt. 10.04.2023.
(ii) This office letter no. NHAI/CMU/MTR/F-5(Jewar)/2023/D-70009 dt. 25.04.2023.

Sir,

Kindly refer to stage-I FCA proposal for diversion of 0.8886 Ha Forest Land falling in the alignment of subject project in Faridabad District approved by the MoEF&CC vide letter dt. 10.04.2023 under ref. (i) and subsequent letter of this office dt. 25.04.2023 under ref. (ii) vide which intimation for deposit of Rs.33,39,583.43/- towards cost of CA scheme and NPV in favour of CAMPA, Haryana was conveyed.

2. In this regard, it is submitted that this office has complied conditions related to Stage II approval pertaining to this office but condition at Para A (viii) of Stage-I approval regarding FRA Certificate is to be complied at your end please.

3. Accordingly, it is requested to arrange for FRA Certificate from office of the DC Faridabad as per FRA 2006. Draft Certificate is enclosed for ready reference please.

Thanking you,

General Manager (T) &,
Project Director,
CMU-Mathura

Copy to:- Authorized Signatory, M/s SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd., 1101A, 11th Floor, Tower A-II, Plot No. 7A/1, Sector-142, Noida, Uttar Pradesh – 201301 for early compliance of stage I approval on Parivesh Portal.

Project Director
Corridor Management Unit
National Highways Authority of India
Mathura (at Faridabad)